

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद रुद्रप्रयाग।

पत्रांक: भ-15/2008

दिनांक: मार्च 31, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय:-

जनपद रुद्रप्रयाग के स्थान जखोली में प्रस्तावित पुलिस चौकी माई की मढ़ी के भवन निर्माण हेतु 0.260 हेक्टर वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु पुलिस विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-

आपका ऑनलाईन पत्र संख्या: 2722 / FP/UK/OTHERS/6951/2014 दिनांक:  
27-03-2015

महोदय,


कृपया उपर्युक्त विषयक/संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा पुलिस चौकी माई की मढ़ी के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 0.260 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन सम्बन्धी ऑनलाईन प्रस्ताव में कार्यालय भवन हेतु याचित वन भूमि का माप (Dimension) का उल्लेख किये जाने एवं याचित भूमि की माप स्पष्ट करते हुये प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः उक्त सम्बन्ध में अपेक्षित आख्या निम्नवत् सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत पुलिस चौकी के प्रशासनिक भवन एवं अन्य कार्यालयी भवनों आदि के निर्माण हेतु **287.36** वर्गमीटर भूमि जैसा कि संलग्न ले आउट प्लान में दर्शाया गया है, प्रयुक्त की जानी है।
2. उक्त के अतिरिक्त शेष **2352.64** वर्ग मीटर भूमि प्रश्नगत पुलिस चौकी के लावारिस वाहनों/मुकदमे से सम्बन्धित वाहनों तथा अन्य निष्प्रयोज्य वाहन आदि उपकरणों को सुरक्षित पार्क किये जाने के साथ-साथ सुरक्षा की दृष्टि से एक सुरक्षित परिसर निर्मित किये जाने में प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त सम्बन्ध में संशोधित ले आउट प्लान, परिमाप(Dimension) का उल्लेख सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रस्ताव पर अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न: यथोपरि।

  
पुलिस अधीक्षक,  
रुद्रप्रयाग।

- प्रतिलिपि:-
1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त पौड़ी को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ।
  2. प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग को उक्त संदर्भ में सूचनार्थ।

## LAY OUT PLAN FOR CONSTRUCTION OF ROP MAI KI MADHI'S BUILDING AT JAKHANZ(6A) JAKHOLI

४५८

- |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| १. प्रदावित भूमि की सीमा -                                                          |  |
| २. बुखारन्त ग्रामीणों का विभाग<br>द्वारा निर्माण के लिए उपयोग<br>नहीं किया जाता है। |  |
| ३. बुखारीन दूनि जो विभाग है।<br>उपयोग की जानी है।                                   |  |
| ४. प्रदावित निर्माण पालिंग हेतु<br>सिविल इंजीनियर                                   |  |

पुस्तक उपायों के  
कर्ता पुस्तक अधीक्षक  
उत्तराखण्ड

